राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक : F26(4)QI/T&C/Unicef/ICDS/10/ 12132-164 जयपुर दिनांक : 24.2.10

उपनिदेशक (बाल विकास),
समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः- नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के क्रम में।

आपको इस कार्यालय के पूर्व पत्र के द्वारा सूचित किया गया था कि जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 मार्च, 10 तक चयनित होगी, उनको इस सत्र में आवश्यक रूप से 8 दिवसीय [illegible] प्रशिक्षण कराया जाना है। इसके लिए आपको समस्त तैयारी करने हेतु कहा गया था। आशा है आपने समस्त तैयारी पूरी कर ली होगी और दिनांक 8 मार्च, 2010 से नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण कराने के लिए तैयार होंगे। आपको इन प्रशिक्षणों हेतु निम्नानुसार बजट भेजा जायेगा।

प्रशिक्षण के लिए एक बैच का व्यय निम्नानुसार हैः-

Participants - 20 Key Trainers 2 Total - 22 Duration - 8 days

S. No.	Item	Rs.
1	Board & lodging to Trainees @ Rs. 75 per participants per day	12000
2	TA to Trainees @ Rs. 300 per participants	6000
3	Honorarium to Trainers @ Rs. 250 per day including TA to Trainers	2500
4	Training material @ Rs. 85 per participants	1700
5	Field visit	1000
6	Rent for venue	2000
7	Contingency	1500
	Total One batch	**26700**

इसके अतिरिक्त एक प्रशिक्षक का मानदेय 250/-प्रतिदिन से 8 दिवस का 2000/-प्रति बैच से यूनिसेफ द्वारा स्वीकृत राशि से डीडी द्वारा भिजवाया जायेगा अर्थात् आपको इस प्रशिक्षण में 2 प्रशिक्षक लगाने है जिसमें से एक प्रशिक्षक का मानदेय आवंटित बजट से तथा दूसरे प्रशिक्षक का मानदेय डीडी द्वारा भिजवायी गयी राशि से देय होगा। आपको इस प्रकार 2 प्रकार के बजट आवंटित होगे। एक बजट मद द्वारा बजट दिया जायेगा जिसका व्यय विवरण आपको लेखा शखा को भिजवाना है तथा इसकी एक प्रति परामर्श् को भी देनी है तथा दूसरा डीडी द्वारा भिजवाया जायेगा। जिसका व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र यूनिसेफ के प्रपत्रों में भिजवाना है जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रही इसके लिए आवश्यक है कि आपको जो प्रशिक्षण सामग्री हेतु 85/-रू0 प्रति संभागी की राशि दी है उससे दो प्रकार के प्रशिक्षण किट बनाने है पहला किट प्रशिक्षकों का तथा दूसरा किट प्रशिक्षणार्थियों को देय होगा। प्रथम किट में निम्नलिखित सामग्री दी जायेगीः-

1. प्रशिक्षक किट में निम्न सामग्री होनी आवश्यक हैः-(यह किट एक बैच के लिए एक होगा जो बार-बार काम में आयेगा)

क्र. सं.	आईटम	संख्या
1.	रजिस्टर	01
2.	पेन	01
3.	पेनसिल	01
4.	बैग	01
5.	स्केच पेन	4 सैट
6.	कलर चाक बोक्स	03
7.	सफेद चाक बोक्स	03
8.	सैलो टेप	01

क्र. सं.	आईटम	संख्या
9.	कैंची	01
10.	कागज काटने का चाकू	01
11.	स्टेपलर	01
12.	स्टेपलर पिन पैकिट	01
13.	सुआ	01
14.	गोद की बोतल 300 ML	01
15.	बड़ी कार्डशीटस्	10
16.	प्लास्टिक की डोरी 50 फिट	
17.	क्लिप	30

2. प्रशिक्षणार्थी किट में एक बैग, 112 पेज का एक रजिस्टर, एक पेन देना है साथ ही उन्हें कार्य करने हेतु 5-5 कार्डशीट व स्कैच पैन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दिया जाए। इन सभी की खरीद प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व कर ले।

इसके अतिरिक्त 3 वेईग मशीन साथ ही विभाग के नये रजिस्टर, सर्वे रजिस्टर, गर्भवती का टीकाकरण रजिस्टर, बच्चों का टीकाकरण रजिस्टर, जन्म-मृत्यु रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर के प्रपत्र भी दें ताकि उनको भरने का अभ्यास कराया जा सके। प्रत्येक संभागी को सर्वे के 5 प्रपत्र तथा शेष का एक प्रपत्र दिया जाना है।

प्रशिक्षण के पहले दिन ही प्रशिक्षणार्थियों को यह बता दिया जाये कि प्रत्येक संभागी का मूल्यांकन होगा और उन्हें प्रशिक्षण में ए, बी, सी ग्रेड दी जायेगी। जो प्रशिक्षणार्थी ए या बी ग्रेड प्राप्त करेगी उन्हें ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने का अवसर दिया जायेगा। मूल्यांकन प्रपत्र संलग्न है। मूल्यांकन के मानदण्ड भी बता दिये जाये।

आपको यह प्रशिक्षण सतत् जारी रखने है, जैसे-जैसे बीस कार्यकर्ताओं के बैच बनते जाये वैसे-वैसे प्रशिक्षण कराते रहे। प्रस्तुत बजट व राशि के बाद प्रशिक्षणों का शेष बजट व राशि शीघ्र भिजवा दी जायेगी। अतः कृपया आप 8 मार्च, 2010 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रारम्भ कर सतत् करते रहे, जब तक सबका प्रशिक्षण न हो जाये।

आपको इस कार्यालय के पूर्व पत्र के द्वारा लिखा गया था कि अपने जिले की 2 सर्वश्रेष्ठ पर्यविक्षक जो अच्छी तरह से प्रशिक्षण में निष्णात हो और प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण करा सके तथा ऐसे दो एनजीओ के व्यक्ति या स्वतंत्र युवक/युवती या सेवानिवृत व्यक्ति जिनकी योग्यता स्नातक से कम न हो का चयन कर उनके नाम भिजवाने हेतु लिखा था किन्तु आपने अभी तक नाम नहीं भिजवायें है। इन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 3-6 मार्च, 10 तक सनाढ्य धर्मशाला, टोंक में आयोजित किया जा रहा है। अतः आप सीधे इन प्रशिक्षकों को भिजवाये। ध्यान रहे अगर आपके प्रशिक्षक प्रशिक्षण नहीं लेगे तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नहीं कर पायेगे और जितने अच्छे प्रशिक्षक होगे उतनी ही गुणवत्ता के साथ प्रशिक्षण होगा। अतः कृपया पत्र प्राप्त होते ही उनको सनाढ्य धर्मशाला, टोंक में प्रशिक्षण लेने हेतु आदेश जारी करें और उन्हें स्पष्ट बताये कि वे 2 मार्च, 10 सायं तक सनाढ्य धर्मशाला, टोंक में आवश्यक रूप से पहुँचे। इसे आप सुनिश्चित करें।

आपको जो बजट भिजवाया जा रहा है उसका विवरण पत्र के साथ संलग्न है। राशि व बजट शीघ्र भिजवायी जा रही हैं।

अगर आपको इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो **उपनिदेशक, टोंक श्री श्यामलाल शर्मा, मोबाईल नम्बर-9889922597 या 01432-247405 से या निदेशालय के परामर्शद् डॉ. एस0एन0मेठी, परामर्शद के मोबाईल नम्बर-9460068713 से सम्पर्क बेहिचक कर सकते है।**

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु बजट आंवटन 2010–11

क्र. सं.	जिले का नाम	नवीन स्वीकृत आंगनबाड़ी			कुल बैच (प्रतिबैच 20 संभागी)	बजट 26700/– + 2000/–रू = 28700/– प्रति बैच	बजट जो भेजा जा रहा है @26700/- प्रति बैच	यूनिसेफ से देय डीडी जो भिजवाया जा रहा है	योग	शेष बजट व राशि जो बाद में भिजवाई जाएगी
		आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आं०बा० केन्द्र	कुल आं० बा० केन्द्र						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ajmer	82	112	194	10	287000	53400	4000	57400	229600
2	Alwar	628	111	739	37	1061900	53400	4000	57400	1004500
3	Basnwara	136	71	207	10	287000	53400	4000	57400	229600
4	Barmer	932	372	1304	65	1865500	53400	4000	57400	1808100
5	Baran	182	67	249	12	344400	53400	4000	57400	287000
6	Bharatpur	155	71	226	11	315700	53400	4000	57400	258300
7	Bhilwara	160	154	314	16	459200	53400	4000	57400	401800
8	Bikaner	110	105	215	11	315700	53400	4000	57400	258300
9	Bundi	68	128	196	10	287000	53400	4000	57400	229600
10	Chittorgarh	67	117	184	9	258300	53400	4000	57400	200900
11	Churu	101	0	101	5	143500	53400	4000	57400	86100
12	Dausa	60	8	68	3	86100	53400	4000	57400	28700
13	Dholpur	86	7	93	5	143500	53400	4000	57400	86100
14	Dungarpur	314	403	717	36	1033200	53400	4000	57400	975800
15	Ganganagar	162	89	251	13	373100	53400	4000	57400	315700
16	Hanumangarh	38	40	78	4	114800	53400	4000	57400	57400
17	Jaipur	676	65	741	37	1061900	53400	4000	57400	1004500
18	Jaisalmer	170	108	278	14	401800	53400	4000	57400	344400
19	Jalore	271	262	533	27	774900	53400	4000	57400	717500
20	Jhalawar	135	117	252	13	373100	53400	4000	57400	315700
21	Jhunjhunu	37	24	61	3	86100	53400	4000	57400	28700
22	Jodhpur	388	143	531	27	774900	53400	4000	57400	717500
23	Karoli	108	72	180	9	258300	53400	4000	57400	200900
24	Kota	76	83	159	8	229600	53400	4000	57400	172200
25	Nagaur	228	67	295	15	430500	53400	4000	57400	373100
26	Pali	142	92	234	12	344400	53400	4000	57400	287000
27	Partapgarh	128	45	173	9	258300	53400	4000	57400	200900
28	Rajasamand	69	79	148	7	200900	53400	4000	57400	143500
29	S. Madhopur	165	75	240	12	344400	53400	4000	57400	287000
30	Sikar	96	72	168	8	229600	53400	4000	57400	172200
31	Sirohi	35	47	82	4	114800	53400	4000	57400	57400
32	Tonk	124	157	281	14	401800	53400	4000	57400	344400
33	Udaipur	414	160	574	29	832300	53400	4000	57400	774900
	Total	**6543**	**3523**	**10066**	**505**	**14493500**	**1762200**	**132000**	**1894200**	**12599300**

नोटः– यह प्रशिक्षण मार्च 2010 के प्रथम सप्ताह से सतत करते रहे व मई, 2010 तक चयनित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कराना है। अतः आप आवश्यक निविदाएं वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्यवाही करें।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मूल्यांकन

कृपया प्रशिक्षण कराते समय निम्न लिखित बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखें:-

1. यह प्रशिक्षण आवासीय होंगे, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों व प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण स्थल पर रहना अनिवार्य है।
2. प्रशिक्षणों में जिन प्रशिक्षकों ने समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तथा ए तथा बी ग्रेड प्राप्त की है, वही प्रशिक्षण दे सकेंगे।
3. प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन निम्न लिखित प्रपत्र में करना होगा:-

क्र. सं.	नाम संभागी	नियमितता	समयबद्धता	सत्रों में सक्रिय	सत्रों के समय उपस्थिति	अभिव्यक्ति	सीखने के प्रति रुचि	सक्षमता	विषय वस्तु का मूल्यांकन	विशिष्ट योग्यता	ग्रेड
	अंक	अंक10	अंक10	अंक10	अंक10	अंक10	अंक10	अंक20	अंक20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- **नियमितता:-** नियमितता से तात्पर्य है कि वह आठ दिन दिवसीय सत्रों में और रात्रि सत्रों में भाग लिया हो तो उसे 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि दिवसीय सत्रों या रात्रि सत्रों में अनुपस्थित रहा हो तो प्रत्येक दिवसीय या रात्रि सत्र की अनुपस्थिति के दो अंक के हिसाब से 10 अंकों में से कम करें।
- **समयबद्धता :-** समयबद्धता से तात्पर्य है कि सत्र प्रारम्भ होने के समय उपस्थित हो। यदि सत्र प्रारम्भ होने के समय उपस्थित नहीं होता हो तो प्रत्येक देरी के लिए 10 अंकों में से 1 अंक कम कर दिया जाए।
- **सत्रों में सक्रिय भागीदारी:-** दिवसीय या रात्रि सत्रों में वह सक्रिय होकर कार्य नहीं कर रही है या वह सत्र में आकर नींद ले रही है, बीच-बीच में उठकर बाहर जा रही है आदि प्रत्येक घटना के लिए 1 अंक 10 अंकों में से कम कर दिया जाए।
- **सत्रों के समय अनुपस्थित रहना:-** यदि प्रशिक्षणार्थी किसी सत्र में भाग नहीं लेकर अपने कमरे, अपने परिचित से बातचीत करने या किसी अन्य जगह चली जाती है तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में 2 अंक प्रति घटना के हिसाब से 10 अंकों में से कम कर दिए जाएं।
- **अभिव्यक्ति:-** अभिव्यक्ति से तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता अपनी बात को कहने में और मनवाने में सक्षम है या नहीं। वह तुल्लाती तो नहीं है, वह अपनी बात कहने में संकोच तो नहीं करती है, आदि-आदि बातें को देखकर एकमुश्त मूल्यांकन किया जाए।
- **सीखने के प्रति रूचि:-** प्रशिक्षणार्थियों में यह देखा जाए कि वह सीखने में रूचि ले रही है या नहीं या वह लापरवाह है। इसका मूल्यांकन अवलोकन के आधार पर एकमुश्त किया जाए।
- **सक्षमता** से तात्पर्य है 8 दिन के प्रशिक्षण के बाद आप यह देखे कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में किस स्तर तक काम कर पाएगी। उसका एकमुश्त मूल्यांकन कर अंक प्रदान करें।
- विषय वस्तु का मूल्यांकन से तात्पर्य है कि प्रशिक्षण के अन्तिम दिन 20 अंकों का एक लिखित परख लिया जाए और उसमें प्राप्त अंकों को इसमें लिखा जाए।
- **विशेष योग्यता:-** यदि किसी प्रशिक्षणार्थी में विशिष्ठ योग्यता हो तो उसको अंकित कर लिया जाए।
- इस प्रकार प्रत्येक दक्ष प्रशिक्षक प्रति दिन अपने प्रशिक्षणार्थियों को अपने-अपने सत्रों में मूल्यांकन कर अपने व्यक्तिगत डायरी में लिखता जाए तथा जिन अंकों की कटौती की गई है उसे प्रशिक्षणार्थियों को बता दिया जाए तथा प्रशिक्षण के अन्तिम दिन इस प्रपत्र को तीनों प्रशिक्षक मिलकर पूरा कर अंकों का योग कर लिया जाए और निम्न लिखित ग्रेडिंग कर लिया जाए।

  75 से 100 अंक प्राप्त करने पर : ए ग्रेड
  67 से 75 अंक प्राप्त करने पर : बी ग्रेड

67 अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगी।

प्रशिक्षकों को मानदेय यात्रा आदि का भुगतान करने से पूर्व संभागियों का यह मूल्यांकन प्रपत्र हस्ताक्षर सहित अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

D:\year09\A B Grad AWWs.doc

UTILIZATION CERTIFICATE
OF UNICEF FUNDS

To: UNICEF, Jaipur
(Attn: Mrs. Laxmi Bhawani)
Project Officer, UNICEF, Jaipur

This is to certify that:

A) REQUSET TO UNICEF FOR REIMBURESMENT ONLY

1. A sum of Rs. (Rs. Only)

2. Used for Activity -------------------------------- (name of the activity) related to ------------------------------------ (name of program/ Project)

3. In accordance with the agreed plan of Action/ Approval Letter No --

4.This amount represents excess expenditure incurred over & above the amount of Rs. ----------------------------

5. Advanced by UNICEF as stated and referred to below.

B) ADVANCE UTILIZATION STATUS

1. Amount Advanced -------------------------

2. letter no. ------------------------- Dated ------------------------------------ by Cheque No.

3. Towards the Activity --- related to Program/ Project)

4. Utilized Amount so far is Rs ------------------------- Leaving an unspent balance of Rs

5. Account submitted before for Rs.__________________ to UNICEF vide letter No.____________ Dated ------

C) REFUND OF UNSPENT BALANCE

1. Unspent balance of Rs. ________________________ -____________________.

2. With interest accrued on the above advance worth Rs. _____________________ is returned.

3. By cheque no.___________ dated__________ for Total Rs.________in favour of UNICEF towards refund.

D) ADVANCED AMOUNT RETAINED

1. Amount of Rs.__________________________ is retained for the continuation of the already agreed upon activity towards_________________________________ during the period.

E) ENCLOSED

1. Itemized summary of Expenditure Yes / No

2. Brief Activity Report Yes / No

F) CERTIFICATION

It is further certified that the detailed accounting documents for the above expenditure have been retained in safe custody in the Project Office for a period of four years from the date of transfer of the funds and will be made available for audit examination by UNICEF, when required.

Date: Signature..............................

Official Seal: Name & Title of Authorized Offical................

Address.................................

ITEMIZED SUMMARY OF EXPENDITURE

(Attachment to U.C. of UNICEF funds)

Programme/ Project : :

Name of District/Department :
Name / Description of Activity :
Period :

DETAILED EXPENDITURE

This should be corresponding to the agreed upon/ approved budget specified for each activity /training/ workshop.

a. Honrarium

S. N	Description	Payee	Bill No. on Dated	Amount
1.				

Certified that the expenditure has actually been incurred in accordance with the details furnished above and original vouchers/accounting documents have been retained in the safe custody of Government / Project office.

Date:

Signature:
Name & Designation
Office Seal

Countersigned by.. ....
Name & Designation
Office Seal

Funding Authorization and Certificate of Expenditures — UN Agency: UNICEF — Date:

Country: INDIA
Programme Code & Title: Child Development & Nutrition
Project Code & Title: Nutrition Mission: Monitoring and Training Support
Responsible Officer(s): Director (ICDS)
Implementing Partner: Directorate of ICDS

Type of Request:
- X Direct Cash Transfer (DCT)
- ☐ Reimbursement
- ☐ Direct Payment

Currency: Indian Rupees

Activity Description from AWP with Duration	Coding for UNDP, UNFPA and WFP	REPORTING: Authorised Amount mm/mm/yyyy A	REPORTING: Actual Project Expenditure B	REPORTING: Expenditures accepted by Agency C	REPORTING: Balance D = A - C	REQUESTS / AUTHORIZATIONS: New Request Period & Amount April-Aug 2009 E	REQUESTS / AUTHORIZATIONS: Authorised Amount F	REQUESTS / AUTHORIZATIONS: Outstanding Authorised Amount G = D + F
Sub Project 01: Systems Strengthening and Capacity Building								
Activity 01: ICDS Reforms and ICDS IV								
Total		0	0	0	0	0	0	0

Notes: Shaded areas (C, D, F & G) to be completed by the UN Agency and non-shaded areas (A, B, and E) to be completed by the counterpart.

CERTIFICATION

The undersigned authorized officer of the above-mentioned implementing institution hereby certifies that:

- ☐ The funding request shown above represents estimated expenditures as per AWP and itemized cost estimates attached.
- ☐ The actual expenditures for the period stated herein has been disbursed in accordance with the AWP and request with itemized cost estimates. The detailed accounting documents for these expenditures can be made available for examination, when required, for the period of five years from the date of the provision of funds.

Date Submitted: ____________ Name: ____________ Title: Director, ICDS, Govt of Rajasthan, Jaipur Signature ____________

FOR UN AGENCY USE ONLY:

FOR ALL AGENCIES
Approved by:
Name: ____________
Title: ____________
Signature ____________
Date: ____________

FOR UNICEF USE ONLY	
Account Charges	Liquidation Information
Cash Transfer Reference: CRO ref. no., Voucher ref. no	DCT Reference: CRO ref. no., Liquidation ref. no
GL codes: Training, Travel, Meetings & Conferences, Other Cash Transfers	DCT Amount, Less: Liquidation Amount
Total	Balance

FOR UNFPA USE ONLY
New Funding Release
Activity 1
Activity 2
Total